

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 55/2013 (2016/00115)

1. भूरा(फौत) पुत्र बालू जयें वारिसान:-
1/1. ऊँदी बाई पत्नि श्री भूरा।
1/2. गोपाल पुत्र श्री भूरा।
1/3. रामराज पुत्र श्री भूरा।
1/4. महावीर पुत्र श्री भूरा।
1/5. हनुमान पुत्र श्री भूरा।
1/6. संतोष पुत्र श्री भूरा।
1/7. मंजु पुत्री श्री भूरा।



समस्त जाति दरोगा निवासीगण. राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

--- प्रतिवादी

उपस्थित:-

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर, श्री रामसिंह राठौड -वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार - तहसीलदार सावर

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136भू-राजस्व अधिनियम
-:: निर्णय ::-

दिनांक 22.8.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

आराजी खसरा जमाबन्दी संवत् 2068-71

| खाता संख्या नया-पुराना | खसरा संख्या | रकबा | किस्म |
|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1-1 | 255 | 1.22 | बारानी-3 |
| | किता 1 | रकबा 1.22 हैक्टर | |

विवरण आराजी जमाबन्दी संवत् 2041

| खाता संख्या नया-पुराना | खसरा संख्या | रकबा | किस्म |
|---------------------------|-------------|--------|----------|
| 134 | 331 मिन | 5 बीघा | बारानी 3 |

वादग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 19.5.1976 को केम्प पारा मे साबिक खसरा नंबर 331 में से रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई व वादग्रस्त आराजी को मौके पर नाप कर वादी को कब्जा संभला दिया गया। वादग्रस्त आराजी को नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 13.5.1993 को वादी का खातेदार



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

काश्तकारी दर्ज हो गया व वादी निरन्तर आराजी को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है व वादी आज भी मौके पर कब्जा काश्त है उक्त आराजी खसरा 331 मिन के नये खसरा नंबर 255 बने जो राजस्व रेकार्ड में सरकार भूमि दर्ज हो गयी जबकि आराजी पर वादी का आवंटन के समय से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है व आज भी मौके पर काबिज है उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लेने हेतु वादी पटवारी हल्का के पास दिनांक 10.3.2013 को राजस्व रेकार्ड की नकल लेने हेतु गया तो नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकार भूमि दर्ज हो गई है जो कतई गलत है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम इन्द्राज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर माल गुजारी कायम किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाना न्यायहित मे है व राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी ने अपने वाद पत्र मे निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर माल गुजारी कामय किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी जरिये तहसीलदार सावर ने जवाब पेश किया। जवाब निम्नानुसार है—

1. ग्राम राजपुरा के खसरा नंबर 255 रकबा 1.22 हैक्टर किस्म बारानी-3 सिवायचक दर्ज है खसरा नंबर 255 के पुराने खसरा नंबर 331 है।
2. खसरा नंबर 331 मे वादी भुरा पुत्र बालू जाति दरोगा(फौत) को नामा. संख्या 60/15.5.1993 रकबा 5 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त प्राप्त हुआ है।
3. भू-प्रबन्ध से प्राप्त रिकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त में उक्त नामा. का अमल नही हो पाया है जिससे उक्त भूमि आज भी सिवायचक दर्ज है।
4. आज दिनांक को वादी भूरा वल्द बालू(फौत) जाति दरोगा को आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान में खसरा संख्या 255 में वादी के वारिसान द्वारा फसल सरसो काश्त कर रखी है। खसरा नंबर 255 में आंशिक पड़त के अलावा वादी के वारिसान का आवंटित रकबा 0.5 बीघा पर कब्जा है।

तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है।

1. आया वादी को वाद ग्रस्त भूमि उसकी आवंटन शुदा आराजी होने से वादी घोषण कराने व रेकार्ड सुधार का हक रखता है (वादी)
2. आया वादी की प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते मे दर्ज है जिससे वादी कब्जा संबंधी दस्तावेजो के अभाव में वाद चलने योग्य नही है।
(प्रतिवादी)
3. आया वादी की वादग्रस्त भूमि आवंटन रेकार्ड व कब्जा देने के दस्तावेजात के अभाव मे खारिज होने योग्य है। (प्रतिवादी)
4. अन्य दादरसी

शहादत वादी में वादी में गवाह भुरा पी.डब्ल्यू-1, भोजाराम पी.डब्ल्यू-2, अकायराज सिंह पी.डब्ल्यू-3, रामराज पी.डब्ल्यू-4 ने शपथ पत्र पेश किया। गवाह रामराज के बयान लेखबद्ध




(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

किया जाकर अपने पक्ष के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2068-71 प्रदर्श-1, वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी प्रदर्श-4, भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श-5, जमाबंदी संवत् 2041 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-6, जमाबंदी संवत् 2064-67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-6, गिरदावरी संवत् 2042-45 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-7, गिरदावरी संवत् 2046-49 तक की सत्यापित प्रति प्रदर्श-8, गिरदावरी संवत् 2050-53 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-9, गिरदावरी संवत् 2054-57 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-10, गिरदावरी प्रति संवत् 2058-61 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-11, गिरदावरी संवत् 2060-63 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-12, गिरदावरी संवत् 2064-67 प्रदर्श-13, गिरदावरी संवत् 2068-67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-14 उक्त दस्तावेजात अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य पेश किये।

तनकीयात अनुसार निर्णय निम्नानुसार है

1. आया वादी को वाद ग्रस्त भूमि उसकी आवंटन शुदा आराजी होने से वादी घोषण कराने व रेकार्ड सुधार का हक रखता है के प्रश्न में वादी द्वारा भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श-5 में उक्त आवंटन शुदा आराजी वादी को हुई जिसका नकल जमाबंदी वर्किंग संवत् 2041 में उक्त आवंटन शुदा आराजी 5 बीघा का नामान्तरण संख्या 60 दिनांक 13.5.1993 द्वारा का नोट में गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हुआ। अतः तनकी संख्या-1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।
2. आया वादी की प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है जिससे वादी कब्जा संबंधी दस्तावेजों के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है के प्रश्न में देखा गया कि अप्रार्थी जय तहसीलदार के मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 में उक्त खसरा नंबर 331 में वादी भूरा पुत्र बालू जाति दरोगा(फौत) के नामा संख्या 60 दिनांक 15.5.1993 रकबा 5 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ है भू-प्रबन्ध से प्राप्त रिकोर्ड मिसल बन्दोबस्त में उक्त नामा. का अमल नहीं हो पाया जिससे उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हुई। उक्त मौका वर्तमान में खसरा संख्या 255 में आंशिक पड़त के अलावा वादी के वारिसान का आवंटित रकबा 5 बीघा पर कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।
3. आया वादी की वादग्रस्त भूमि आवंटन रेकार्ड व कब्जा देने के दस्तावेजात के अभाव में खारिज होने योग्य है। के प्रश्न में देखा गया कि उक्त आवंटन शुदा आराजीयात पर वादी(फौत) के वारिसान का कब्जा रहा है अप्रार्थी की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है व उक्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेकार्ड वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2068-71 प्रदर्श-1, वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी प्रदर्श-4, भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श-5, जमाबंदी संवत् 2041 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-6, जमाबंदी संवत् 2064-67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-6, गिरदावरी संवत् 2042-45 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-7, गिरदावरी संवत् 2046-49 तक की सत्यापित प्रति प्रदर्श-8, गिरदावरी संवत् 2050-53 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-9, गिरदावरी संवत् 2054-57 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-10, गिरदावरी प्रति संवत् 2058-61 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-11, गिरदावरी संवत् 2060-63 की सत्यापित प्रति प्रदर्श-12, गिरदावरी संवत् 2064-67 प्रदर्श-13, गिरदावरी संवत् 2068-67 की सत्यापित प्रति




उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)


प्रदर्श-14 व तहसीलदार केकडी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 से स्पष्ट है कि उक्त आवंटन शुदा आराजी वादी की है व उक्त आराजी पर वादी का हि कब्जा काशत है अतः तनकी संख्या-3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

—:निर्णय:—

तनकीयात 1, 2, 3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाने से वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर आराजी ग्राम राजपुरा तहसील सावर के खाता संख्या 134 (वर्तमान नया-पुराना 1-1) खसरा संख्या 331 मिन (वर्तमान नया खसरा 255) रकबा 5 बीघा वादी की आवंटन शुदा होने से वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जावे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

- भूरा(फौत) पुत्र बालू जयें वारिसान:-
1/1.ऊँदी वाई पत्नि श्री भूरा।
1/2. गोपाल पुत्र श्री भूरा।
1/3. रामराज पुत्र श्री भूरा।
1/4. महावीर पुत्र श्री भूरा।
1/5. हनुमान पुत्र श्री भूरा।
1/6. संतोष पुत्र श्री भूरा।
1/7. मंजु पुत्री श्री भूरा।



समस्त जाति दरोगा निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---वादी

♠ बनाम ♠

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

--- प्रतिवादी

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 55/2013 (2016/00115)
निर्णय दिनांक:-22.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी वहाजिरी श्री शिवप्रसाद पाराशर व श्री रामसिंह राठौड वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है आराजी ग्राम ग्राम राजपुरा तहसील सावर के खाता संख्या 134(वर्तमान नया-पुराना 1-1) खसरा संख्या 331 भिन (वर्तमान नया खसरा 225) रकबा 5 बीघा वादी की आवंटन शुदा होने से वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जावे। इस आश्य का डिकरी पर्वा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....
इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 अगस्त 2022 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

| मुद्दई | रुपया | पैसा | मुदयलाह | रुपया | पैसा |
|---------------------------|-------|------|---------------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0 | 0 |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | 0 | 0 | मीजान | 0 | 0 |

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

